

## बलात्कार के मामलों के वचिारण के लयि 1,023 वशिष अदालतों की ज़रूरत

### चरचा में कयों?

कानून मंत्रालय ने कहा है क बिचचों और महिलाओं के बलात्कार से संबंघति मुकदमों के वचिारण के लयि एक नई योजना के तहत 1000 से अधिक 'फास्ट ट्रैक वशिष अदालतों' की स्थापना कयि जाने की आवश्यकता है।

### परमुख बदि

- कानून मंत्रालय के न्याय वभिग ने इन वशिष अदालतों की स्थापना के लयि 767.25 करोड रुपए के व्यय का अनुमान लगाया है।
- वभिग ने गृह मंत्रालय को बताया है क इस कार्य के लयि 474 करोड रुपए की ज़रूरत होगी।
- अनुमान लगाया गया है क बलात्कार और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ़ॉर्म सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट (POSCO) के मामलों के लयि कुल 1,023 FTSC (फास्ट ट्रैक वशिष अदालतों) की स्थापना की जानी चाहयि। इस संबंघ में वचिारण गृह मंत्रालय को भेजा गया है।
- नई योजना हाल ही में एक अध्यादेश का हसिसा बनी जो अदालतों को 12 साल से कम उमर के बचचों से बलात्कार करने के दोषी ठहराए जाने वालों को मौत की सज़ा देने की इज़ाज़त देता है।
- आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश के माध्यम से भारतीय दंड संहति (आईपीसी), अपराध प्रक्रयिा संहति (सीआरपीसी), साक्ष्य अधनियम और पासको अधनियम में संशोधन कयिा गया है।
- इस योजना में भौतिक आधारभूत संरचना और अभयिोजन मशीनरी को मज़बूत करना, नचिली अदालतों के लयि न्यायकि अधकिारयिों की आवश्यक संख्या का प्रावधान, लोक अभयिोजकों के अतरिकित पदों का सृजन, समरपति जाँचकर्त्ताओं और वशिष फोरेंसकि कटि सहति अनेक घटकों को शामिल कयिा जाएगा।
- महिलाओं, अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात, अधकिार वहीन लोगों और वरषिठ नागरकिों से संबंघति मामलों के वचिारण के लयि देश भर में 524 फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले से ही कार्यरत हैं।
- 524 फास्ट ट्रैक कोर्ट में से 100 महाराषट्र में, 83 उत्तर प्रदेश में, 39 तमलिनाडु में, 38 आंध्र प्रदेश में और 34 तेलंगाना में स्थापति हैं। अध्यादेश के हसिसे के रूप में परस्तावति वशिष फास्ट ट्रैक कोर्ट वशिष रूप से बलात्कार और बाल बलात्कार के मामलों का नपिटारा करेंगे।
- आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश के अनुसार, ऐसे मामलों से नपिटने के लयि नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापति कयि जाएंगे और बलात्कार के मामलों के लयि वशिष फोरेंसकि कटि दीर्घ अवधा तक सभी पुलसि स्टेशनों और अस्पतालों को प्रदान कयि जाएंगे।
- यह अध्यादेश बलात्कार के अपराधयिों के लयि कड़ी सज़ा का प्रावधान करता है वशिष रूप से 16 साल तथा 12 साल से कम आयु की लडकयिों के मामले में। 12 साल से कम उमर की लडकी के साथ बलात्कार के मामले में मौत की सज़ा का प्रावधान कयिा गया है।